ग्राम पंचायत भद्रवाड़, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेष पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संषोधन होने व संयुक्त निदेषक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भद्रवाड़, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री पृथ्वी राज	1.4.2014 से 22.1.16
2	श्री ओम प्रकाश	23.1.16 से लगातार

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री तारापति	1.4.14 से 28.3.16
2	श्री प्रकाश चन्द	29.3.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत भद्रवाड़ के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.05
2	4.3	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	–

3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.80
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	4.06
5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय	2.08
6	9	स्टेशनरी का संदिग्ध क्रय	0.82
7	10	विविध व्ययों का अनियमित भुगतान	0.95

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत भद्रवाड़, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 9.10.17 से 16.10.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	03/2015	01/2015
2015–16	08/2015	07/2015
2016–17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत भद्रवाड़, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 16.10.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत भद्रवाड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार 1.4.14 से 31.3.17 से सम्बन्धित सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा एक ही रोकड़ बही (सामान्य रोकड़ बही) में दर्ज किया गया था। मनरेगा शीर्ष से प्राप्त हुए अनुदानों तथा इनसे किये गए व्ययों/भुगतानों के अलावा अन्य सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों (स्वः स्त्रोत और अन्य अनुदानों) का पृथक लेखा, नियमानुसार नहीं रखा गया था, जिसके कारण स्वःस्त्रोत तथा अनुदानों की अलग–2 वित्तीय स्थिति नहीं बनाई जा सकी, यद्यपि ग्राम पंचायत भद्रवाड़ की संयुक्त वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

		प्राप्ति		कुल योग	व्यय		कुल व्यय	अन्तशेष
वर्ष	**अथशेष**	**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**		**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**		
2014–15	914805	16856	4815174	5746835	105277	5332442	5437719	309116
2015–16	309116	26462	2787279	3122857	232750	3264119	3496869	(–)374012
2016–17	(–)374012	68313	6043464.02	5737765.02	26001	5398742	5424743	313022.02

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.2017 के अन्तशेष में ₹0.05 लाख का अन्तरः–

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष	313022.02
बैंकों में जमा अनुदान राशियाँ, जिनकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई (संलग्न **परिशिष्ट–II**)	(+)1193308.00
कुल योग/रोकड़ का वास्तविक शेष	₹1506330.02
दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों का अन्तशेष (संलग्न **परिशिष्ट–III**)	1511539.02
हस्तगत राशि	159.00
कुल योग	**₹1511698.02**
अन्तर 1511698.02–1506330.02	₹5368

समय पर बैंक खातों के शेष का रोकड़ बहियों के अन्तशेष के साथ मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों का अन्तशेष, रोकड़ बहियों के अन्तशेष की तुलना में ₹5368 अधिक पाया गया, तथा अन्तशेष का मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01, दिनांक 11.10.17 द्वारा सचिव को निर्देश दिये गये, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक खातों का मिलान नहीं किया गया। अतः अतिशीघ्र की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

4.2 ₹11.93 लाख के सहायता अनुदान की रोकड़ बही में प्रविष्टि न करनाः–

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता राशियों में से ₹1193308 की रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी, जबकि यह राशि पंचायत को विभिन्न तिथियों में (बैंक खातों में प्रत्यक्ष जमा) प्राप्त हुई थी, प्राप्त अनुदान राशियों की रोकड़ बही में प्रविष्टि न करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के विपरीत है। अतः अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अनुदान प्रदाय संस्थाओं/विभागों के बारे में जानकारी/सूचना प्राप्त करके इन सहायता अनुदान राशियों की लेखा प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली सभी सहायता अनुदान राशियों की भी यथाशीघ्र रोकड़ बहियों में प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत भद्रवाड़ की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना, नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹1.80 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट–IV** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹179650 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹4.06 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹406452 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 पंचायत निधि के लेखों का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–

पंचायत के लेखाओं की जाँच में पाया गया कि पंचायत लेखों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता–क तथा खाता–ख के रूप में नहीं रखा गया था। अतःनियमों के अनुसार लेखों का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखें खाते खोल कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता–क व खाता–ख में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.08 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–V** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹207756 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते

हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 ₹0.82 लाख की स्टेशनरी का संदिग्ध क्रयः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक स्वः स्त्रोत की आय को ध्यान में न रखते हुए, **परिशिष्ट–VI** में दिये गये विवाणानुसार ₹82445 की स्टेशनरी का क्रय किया गया तथा इस क्रय के लिए प्राप्त अनुदानों का प्रयोग किया गया जोकि नियमों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त नियम 67 (4) तथा 67 (5) और नियम 69 के अनुसार न तो इस क्रय के लिए भाव दरें ली गई और न ही प्रविष्टि की गई। अतः इस क्रय को नियमों के अनुसार न्यायोचित ठहराया जाये तथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक तथा भण्डारण सुनिश्चित किया जाए।

10 ₹0.95 लाख के विविध व्ययों का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक स्वः स्त्रोत की आय को ध्यान में न रखते हुए **परिशिष्ट–VII** में दिये गये विवरणानुसार ₹95476 के विविध व्ययों जैसे ग्राम सभा के लिए जलपान कम्पयूटर की मुरम्मत आदि के लिए भुगतान किया गया। अतः नियमों के विपरीत प्राप्त अनुदानों से किये गए विविध व्ययों के भुगतानों को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्टरों व अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(क) अनुदान रजिस्टर

(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(ग) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(घ) प्रतिस्थापना बिल रजिस्टर

(ङ) स्टैम्प रजिस्टर

(च) स्टेशनरी रजिस्टर

(छ) वर्गीकृत सार रजिस्टर

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अंकेक्षण के दौरान पाई गई लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

13 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत भद्रवाड़ के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 40/2017–खण्ड–1–2651–2654 दिनाँक 16.04.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भद्रवाड़, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881